

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3.12-21 को यह पताचली प्रमाणित क्षेत्र को क्षेत्र जौनामवा जूड पर पेशा हुआ पताचली में हुक्म नुसार गिन्ना हुआ है कि आरामी लाला रामू दास 459, 460, 461, 462, 463, 464, वरिष्ठ जौनामवा जूड तहसील नौमवा जिला-अलम (नाम) में स्थित है। जिसमें वादी का नाम बलवंत विभाग द्वारा "बलवंत सिंह पुत्र गिन्दोडा" के स्थान पर "लालू राम पुत्र गिन्दोडा" को केवल कर दिया जिसको मुगा विट्टे पड़ोसी अन पत्र व दस्तावेजों द्वारा सिद्ध किया जा रहा है "लालू राम पुत्र गिन्दोडा" के स्थान पर बलवंत सिंह पुत्र गिन्दोडा को केवल किया जाये। कोष भिन्न न माना जाये। पताचली में वादी की वकील को पुना गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का दावा पर स्वीकार किया जाता है। आदेश दिया जा रहा है कि 459, 460, 461, 462, 463, 464 वरिष्ठ जौनामवा जूड तहसील नौमवा जिला-अलम (नाम) में लालू राम पुत्र गिन्दोडा के स्थान पर बलवंत पुत्र गिन्दोडा को केवल किया जाये। वकील प्रकाश दास के अलावा नौमवा जिला नौमवा जूड तहसील नौमवा जिला-अलम (नाम) में लालू राम पुत्र गिन्दोडा के स्थान पर बलवंत पुत्र गिन्दोडा को केवल किया जाये। निर्णय की प्रतिलिपि दा. नौमवा जूड को अलम दास के पास भेज दी जा रही है। पताचली के सबूतों को नौमवा जूड से कल को वादियों को वापस कर दिया।	शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी नौमवा

